आई.सी.एम.आर.- राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यांवयन अनुसंधान संस्थान
नई पाली रोड, जोधपुर

ICMR-National Institute for Implementation Research on Non-Communicable Diseases, New Pali Road, Jodhpur

---

सं. परि / एन.आइ.आई.आर.एन.सी.डी. / 2021
दिनांकः 25 अक्टूबर, 2021

परिपत्र Circular

परिषद से प्राप्त पत्र क्रमांक Vig / ICMR / 01(08) दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 के अनुसार दिनांक 26 अक्टूबर से 1 नवम्बर, 2021 तक कार्यप्रणाली, कार्यपद्धति व शिकायतें दूर करने में सुधार हेतु, जागृति बढ़ाने के लिए सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया जाना है। अतः संस्थान के समस्त स्टाफ, प्रकल्प स्टाफ एवं शोधार्थियों से अनुरोध है कि वे दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 को प्रातः 11:00 बजे संस्थान के स्वागत कक्ष में उपस्थित होकर प्रतिज्ञा लें।

As per letter no. Vig / ICMR / 01(08) dated 11th October, 2021, received from ICMR, the Vigilance Awareness Week is to be observed from 26th October to 1st November, 2021 to raise awareness for improvement of the system and procedures and redressal of grievances etc. Therefore, all the staff, including project staff and Ph.D. students of the institute are requested to take the pledge on October 26, 2021 at 11:00 AM.

25/10/2021

(रमेश हुडा) / (Ramesh Huda)
वैज्ञानिक 'बी' एवं सतर्कता अधिकारी
Scientist 'B' & Vig. Officer
कृते निदेशक / for Director

समस्त वैज्ञानिक, अधिकारी, कर्मचारी, परियोजना स्टाफ एवं पीएच. डी. विद्यार्थीगण
All Scientists, Officers, Employees, Project staff and Ph.D. students

प्रतिलिपि : नोटिस बोर्ड Copy : Notice Board

Annexure - A

Integrity Pledge for Citizens

I believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. I believe that all stakeholders such as Government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption.

I realise that every citizen should be vigilant and commit to highest standards of honesty and integrity at all times and support the fight against corruption.

I, therefore, pledge:

- To follow probity and rule of law in all walks of life;
- To neither take nor offer bribe;
- To perform all tasks in an honest and transparent manner;
- To act in public interest;
- To lead by example exhibiting integrity in personal behaviour;
- To report any incident of corruption to the appropriate agency.

नागरिक – ईमानदारी प्रतिज्ञा

मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार हमारे देश की आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक प्रगति की राह में आई प्रमुख बाधाओं में से एक रहा है। मेरा यह भी मानना है कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सभी हितधारकों जैसे कि सरकार, नागरिक और निजी क्षेत्र को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

मुझे लगता है कि हर नागरिक को सतर्क रहने, हर समय ईमानदारी व निष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखने और भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए।

इसलिए, मैं, देश के एक नागरिक के रूप में शपथ लेता हूँ कि, सदैव:

- अपने जीवन में ईमानदारी और न्याय का पालन करूँगा;
- न कभी रिश्वत लूँगा और न रिश्वत दूँगा;
- सभी कार्य ईमानदारी व पारदर्शिता से करूँगा और उनके लिए जवाबदेह रहूँगा;
- विषयनिष्ठ रहूँगा और निष्पक्षता से निर्णय करूँगा;
- लोकहित को सर्वोपरी रख कर कार्य करूँगा;
- अपने व्यक्तिगत व्यवहार में ईमानदारी का आदर्श स्थापित करूँगा;
- भ्रष्टाचार कि हर घटना के बारे में उचित शासकीय संस्था को सूचित रखूँगा।

Annexure- B

Integrity Pledge for Organizations

We believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. We believe that all stakeholders such as Government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption.

We acknowledge our responsibility to lead by example and the need to put in place safeguards, integrity frameworks and code of ethics to ensure that we are not part of any corrupt practice and we tackle instances of corruption with utmost strictness.

We realize that as an Organization, we need to lead from the front in eradicating corruption and in maintaining highest standards of integrity, transparency and good governance in all aspects of our operations.

We, therefore, pledge that:

- We shall promote ethical business practices and foster a culture of honesty and integrity;
- We shall not offer or accept bribes;
- We commit to good corporate governance based on transparency, accountability and fairness;
- We shall adhere to relevant laws, rules and compliance mechanisms in the conduct of business;
- We shall adopt a code of ethics for all our employees;
- We shall sensitize our employees of laws, regulations, etc. relevant to their work for honest discharge of their duties;
- We shall provide grievance redressal and Whistle Blower mechanism for reporting grievances and fraudulent activities;
- We shall protect the rights and interests of stakeholders and the society at large.

परिशिष्ट 'ग'

संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

हमारा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। हमारा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूल करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति-संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं हैं तथा भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हम अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करते हैं।

हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए, एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना होगा।

अत:, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि :-

- हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे ;
- हम ना तो रिश्वत देंगे और ना ही रिश्वत लेंगे ;
- हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं;
- हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे ;
- हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएंगे ;
- हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए, उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे ;
- हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा पर्दाफाश तंत्र का प्रबंध करेंगे ;
- हम संबंधित पक्षों एवं समाज के अधिकारों तथा हितों का संरक्षण करेंगे।

Azadi Ka Amrit Mahotsav

ICMR INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

NIIRNCD
NATIONAL INSTITUTE FOR IMPLEMENTATION RESEARCH ON NON-COMMUNICABLE DISEASES

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2021

Vigilance Awareness Week - 2021

26 अक्टूबर से 1 नवम्बर - 2021

26 October to 1 November - 2021

स्वतंत्र भारत@75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता

Independent India@75 : Self Reliance with Integrity

ICMR- National Institute for Implementation Research on Non-Communicable Diseases,
Jodhpur (Raj.), India

आई.सी.एम.आर.-राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान,
जोधपुर

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई)

PUBLIC INTEREST DISCLOSURE AND PROTECTION OF INFORMER RESOLUTION, 2004 (PIDPI)

क्या आपके आसपास भ्रष्टाचार है? पीआईडीपीआई के तहत शिकायत दर्ज करें

IS THERE CORRUPTION AROUND YOU? LODGE A COMPLAINT UNDER PIDPI

आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी

YOUR IDENTITY SHALL BE KEPT CONFIDENTIAL

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 की पहल
A VIGILANCE AWARENESS WEEK 2021 INITIATIVE

लिखित में शिकायत भेजें:
सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग
सतर्कता भवन, ब्लॉक – ए, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए,
नई दिल्ली–110023

SEND COMPLAINTS IN WRITING TO:
The Secretary, Central Vigilance Commission
Satarkta Bhavan, Block-A GPO Complex, INA
New Delhi - 110 023

(लिफाफे पर "पीआईडीपीआई" लिखें। शिकायतें केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों, जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक सेक्टर बोर्ड और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हों, आदि के खिलाफ होनी चाहिए।)

(MARK THE ENVELOPE AS "PIDPI" COMPLAINTS SHOULD ONLY BE AGAINST CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES, INCLUDING PSUs, PSBs AND UTs etc.)

पीआईडीपीआई शिकायतें: वे क्या हैं? और आपको उन्हें कब करना चाहिए?

PIDPI COMPLAINTS: WHAT ARE THEY? & WHEN SHOULD YOU MAKE THEM?

1. लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के तहत की गई शिकायतों को पीआईडीपीआई शिकायतें कहा जाता है।

   Complaints made under Public Interest Disclosure and Protection of Informers Resolution are termed as PIDPI complaints

2. यदि पीआईडीपीआई के तहत कोई शिकायत की जाती है तो शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

   If any complaint is made under PIDPI, the identity of the complainant is kept confidential

3. शिकायत, सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित की जानी चाहिए और लिफाफे पर "पीआईडीपीआई" लिखा होना चाहिए।

   The complaint should be addressed to the Secretary, Central Vigilance Commission and envelope should be marked as "PIDPI"

4. केवल केंद्र सरकार के अधिकारियों (पीएसबी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्र शासित प्रदेशों सहित) के खिलाफ शिकायतों को ही संज्ञान में लिया जाएगा।

   Only complaints against Central Government officials (including PSBs, PSUs and UTs) will be taken into cognizance

5. अधिक जानकारी के लिए http://www.cvc.gov.in देखें।

   For more details visit http://www.cvc.gov.in

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 की पहल
A VIGILANCE AWARENESS WEEK 2021 INITIATIVE